(72) 1

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं.   /2013 पुनरीक्षण – R 361-II/13

ठाकुरदास पुत्र सरजू उर्फ डाकिया
निवासी ग्राम बरद्वाहा तहसील नौगांव
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... आवेदक

विरूद्ध

झगडू पुत्र गोविन्दा
निवासीग्राम बरद्वाहा तहसील नौगांव
जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव, अभि. द्वारा आज दि. 28-1-13 को प्रस्तुत
28-1-13
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मुकेश भार्गव
28-1-13 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 176/ निगरानी/अ–12/09–10 में पारित आदेश दिनांक 26.6.12 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश अवैध, अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदक के स्वत्व व स्वामित्व की आराजी ख.नं. 301 रकवा 0.72 हे. ख. न. 302 रकवा 0.54 हे. ग्राम बरद्वाहा तहसील नौगांव में स्थित है। इसी प्रकार भूमि ख.नं. 299, 286 अनावेदक की है। अनावेदक ने आराजी ख.नं. 299, 286 का सीमांकन कराने हेतु म.प्र. शासन को पक्षकार बनाकर तहसील नौगांव में आवेदन दिया उक्त आवेदन पर प्रकरण कमांक 29/अ–12/07–08 दर्ज कर हल्का पटवारी ने दिनांक 27.6.08 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-361-दो/2013 जिला छतरपुर ठाकुरदास **विरूद्ध** झगडू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक बैजनाथ की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 176/निगरानी/अ-12/2009-10 में पारित आदेश दिनांक 26-06-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 28-01-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण	

याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 27.12.18
सदस्य